



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1942 (श०)

15 मई, 2020 (ई०)

संख्या- 204 राँची, शुक्रवार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 मार्च, 2020

संख्या--5/आरोप-1-411/2014 का०-1975-- मो० मुजफ्फर अली, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से0० के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-9527, दिनांक 01.11.2004 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। मो० अली के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में निम्न आरोप प्रतिवेदित है :-

आरोप का सारांश- सीतामढ़ी जिले में वर्ष 1995-96 से जल छाजन योजना ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, बंजर भूमि विकास, भारत सरकार से प्राप्त आवंटन एवं निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में जिले के तीन प्रखंडों यथा-सोनबरसा/बेलसंड के लिए यूथ एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट (यार्ड), चुटिया, राँची, सोनबरसा प्रखण्ड के लिए मेसर्स फोर्ड, किदवईपुरी, पटना तथा रुन्नीसैदपुर लिए मेसर्स सिगमा, पटेल नगर, पटना नामक संस्था को कार्य एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

जलछाजन परियोजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-29, 30 के अनुसार जब तक जिला परिषद् पंचायत राज विधान के अनुसार पर्याप्त शक्तियों और संसाधनों के साथ परिवर्तन में न आ जाय, तब तक मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की होगी, जिसके आप परियोजना निदेशक भी हैं। आपके कार्यकाल में आपके प्रस्ताव एवं सुझाव पर कार्यकारी एजेंसियों को प्रशासनिक मद के साथ-साथ कार्य मद में भी राशि उपलब्ध करायी गयी थी, परंतु

विशेष कर प्रखंड सोनबरसा एवं बेलखण्ड में कार्यरत एजेन्सी क्रमशः फोर्ड एवं यार्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन आपके द्वारा नहीं कराये जाने के कारण दी गयी राशि का दुरुपयोग किया गया है। फलस्वरूप मो० अली के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप बनते हैं-

आरोप सं०-1. सोनबरसा प्रखंड के लिए नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी पी०आई०ए० फोर्ड को सरकार की मार्गदर्शिका एवं एकरारनामा के अनुसार 12 लाख रुपये देय था, जिसके विरुद्ध 2 लाख रुपये दिया गया। इसमें से 1,87,000 रुपये का व्यय विवरणी प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप आपकी अनुशंसा पर कुल 7 लाख रुपये की विमुक्ति प्रशासनिक मद में की गयी। पुनः आपके द्वारा अनुशंसा की गयी कि एजेन्सी द्वारा 6,72,000/-रु० का अभिश्रव दिया गया है। फलस्वरूप तत्काल कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये विमुक्त किया जाय। इस पर तत्कालीन जिला अधिकारी की टिप्पणी, दि० 09.03.2000 में कार्य का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया परंतु आपके द्वारा दि० 09.03.2000 से 15.06.2000 के बीच कार्य का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिसमें दि० 21.08.2000 द्वारा टिप्पणी दिया गया कि तीनों प्रखण्ड बाढ़ से प्रभावित हाने के कारण कार्य का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। आपके द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने के कारण एजेन्सी द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जानकारी नहीं हो सकी। यदि आपके द्वारा एजेन्सी से प्राप्त अभिलेखों की जाँच की जाती एवं भौतिक सत्यापन किया जाता तो उन्हें राशि के गबन का मौका नहीं मिलता। जिला पदाधिकारी के दि० 09.03.2000 के आदेश के बाद से 15.06.2000 के बीच आसानी से कार्य का भौतिक सत्यापन किया जा सकता था, परंतु आपके द्वारा जानबूझकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिससे एजेंसी को राशि के दुरुपयोग एवं गबन का मौका मिला, जिसमें आपकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आरोप सं०-2. आपके द्वारा सुझाव दिया गया कि दि० 11.08.2000 को उप विकास आयुक्त के राज्य स्तरीय बैठक में डी०पी०ई०पी० की समीक्षा हेतु दिल्ली से आए पदाधिकारियों द्वारा सीतामढ़ी जिले में हो रहे डी०पी०ई०पी० कार्यों की समीक्षा की गयी एवं सुझाव दिया गया कि 27 लाख रुपये के विरुद्ध 19 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। फलस्वरूप प्रस्ताव शीघ्र भेजें ताकि अगले किस्त का आवंटन किया जा सके। इस प्रकार आपके द्वारा इस योजना के कार्य को बढ़ाने हेतु राज्य स्तर पर हुई बैठक में समीक्षा का हवाला देते हुए पी०आई०ए० के साथ बैठक का सुझाव दिया गया। इसके आलोक में दि० 12.11.2000 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक की गयी। इसमें रून्नीसैदपुर एवं सोनबरसा प्रखण्ड के पी०आई०ए० ने भाग लिया, जिसमें उनसे कार्य योजना बना लिया गया एवं उस पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान जब आपसे पी०आई०ए० की कार्य की गुणवत्ता के संबंध में पूछा गया तो आपके द्वारा बताया गया कि स्वयं योजना के प्रारंभ में पी०आई०ए० के विभिन्न वातावरण निर्माण कार्यक्रम में भाग लिये हैं एवं सोनबरसा तथा रून्नीसैदपुर पी०आई०ए० द्वारा किये गये कार्य को भौतिक रूप में स्वयं देखा है। कार्य संतोषजनक है। आपके इस सुझाव एवं प्रस्ताव पर सोनबरसा प्रखण्ड के पी०आई०ए० को प्रशासनिक मद में 2 लाख एवं कार्य मद में 5 लाख रुपये

समितियों के खाते में यानि कुल 7 लाख रुपये प्रबंध परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विमुक्त किया गया। उक्त राशि भी आपके द्वारा इस निदेश के विमुक्त की गयी कि यथाशीघ्र उसकी व्यय विवरणी उपस्थापित किया जाय। निदेश के आलोक में प्रभारी सहायक द्वारा 7 लाख रुपये के विरुद्ध 6,72,293.75 रुपये व्यय होने का मोटा-मोटी लेखा टिप्पणी पृष्ठ पर दिया गया, जिस पर दि० 13.12.2000 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा वार्ता हेतु निदेश दिया गया, परंतु आपके द्वारा न तो विपत्रों की समीक्षा अपने स्तर से की गयी और न निदेश के आलोक में वार्ता की गयी, जबकि मार्गदर्शिका की कंडिका-100 के अनुसार परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सामान्य निगरानी तीन माही प्रतिवेदनों के माध्यम से आपके द्वारा की जानी है। आपके स्तर से संचिका सं०-12-8/2001-02 के माध्यम से प्रतिवेदन भी सरकार को भेजा गया परंतु न तो आपके द्वारा न तो विपत्रों की समीक्षा हेतु वार्ता के लिए लाया गया और न भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन दिया गया, जिसके कारण पी0आई0ए0 योजना का कार्य बाजार दर पर करने में सफल हाने के साथ ही साथ सरकार की इस कल्याणकारी योजना की राशि का गबन किया गया है।

आरोप सं०-3. बेलखंड प्रखंड में कार्यरत एजेन्सी यार्ड के निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन एवं उपविकास आयुक्त द्वारा दिए गए सुझाव पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा 3 (तीन) लाख रुपये P.I.A. मद में इस निदेश के साथ विमुक्त किया गया कि किए गए कार्यों के बारे में भी प्रतिवेदन लिया जाय। संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक मद में 5 (पांच) लाख रुपये दिया गया है जिसके विरुद्ध 4,94,041/- (चार लाख चौरानवे हजार एकतालीस) रुपये का अभिश्रव जमा कराया गया है। दिनांक 12.11.2000 की बैठक में P.I.A. द्वारा भाग नहीं लिए जाने के कारण परियोजना प्रतिवेदन समर्पित नहीं हुआ था अतः दूरभाष पर वार्ता कर परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं अधोहस्ताक्षरी से वार्ता कर आपके सुझाव एवं प्रस्ताव पर P.I.A. मद में 2 (दो) लाख रुपये एवं 2,94,804.00 (दो लाख चौरानवे हजार आठ सौ चार) रुपये कार्य मद में P.I.A. द्वारा समर्पित मास्टर प्लान के आधार पर जलछाजन समिति 3 ग्राम बेलखंड में निकासी सह सिंचाई नाला (बेलखंड थाना से चन्दौली सुलिस गेट तक) के लिए प्रबंध पर्षद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विमुक्त किया गया एवं निदेशित किया गया कि P.I.A. के अधिकृत W.D.T. सदस्य के परामर्श से मास्टर प्लान में अंकित उक्त निकासी सह सिंचाई योजना में कार्य करेंगे एवं दो माह के अंदर योजना का पूर्णतः तथा राशि की उपयोगिता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे परंतु 29.03.2000 को मुक्त की गई राशि के पश्चात् 25.05.2001 तक किसी प्रकार का लेखा जोखा प्रतिवेदन यार्ड द्वारा नहीं दिया गया और न ही आपके द्वारा किसी प्रकार की जांच की गई। फलस्वरूप 15 जून के बाद सरकारी नियमानुसार मिट्टी कार्य करने पर प्रतिबंध होने के कारण अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र सं० 194/सी0 दिनांक 20.06.2001 द्वारा यार्ड के निदेशक को 2 (दो) लाख रुपये P.I.A. अंश की राशि तथा 2,94,804 रुपये कार्य मद की राशि वापस करने का निदेश दिया गया जिससे कार्य मद की राशि वापस हो सकी। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निदेशक, D.P.A.P. द्वारा बेलखंड में जांच की गई तो पाया गया कि विगत 9 (नौ) माह से यार्ड के निदेशक नहीं आए हैं एवं P.I.A. द्वारा

किसी भी सदस्य को मानदेय नहीं दिया गया है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि जो भी अभिश्रव प्रस्तुत किया गया है उसे जाली माना जाय। इस प्रकार उपरोक्त अनियमितता करने का मौका आपके द्वारा सफल पर्यवेक्षण निरीक्षण के अभाव में कार्यकारी एजेन्सी को मिला।

आरोप सं०-4. आपके द्वारा संचिका सं० 12-4/98 में 12.04.2001 के 9/टि० दिनांक 26.08.2000 में अंकित टिप्पणी में बताया गया है कि उपविकास आयुक्त की राज्य स्तरीय बैठक में जलछाजन योजना की राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजन का निदेश प्राप्त हुआ है ताकि अगली किस्त की विमुक्ति हो सके जिसके आलोक में तीनों प्रखंडों के P.I.A. के साथ बैठक की गई एवं चर्चा के दौरान मेसर्स फोर्ड या यार्ड के बारे में आपके द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई जबकि मेसर्स फोर्ड तथा यार्ड का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं था जबकि आप 1998 जुलाई से कार्यरत हैं और चयनित संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है। जब बेलखंड विधान सभा के माननीय विधायक श्री राम स्वार्थ राम द्वारा तीनों प्रखंडों में चल रहे योजनाओं के क्रियान्वयन पर आपत्ति उठायी गई जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच दल गठित कर जांच का आदेश दिया गया परंतु आपके स्तर से योजना के आलोक में स्मार दिया जाता रहा। इतना ही नहीं पूर्व जिलाधिकारी द्वारा दिए गए 5 (पांच) लाख रुपये के विरुद्ध 4,49,041.00 (चार लाख चौरानबे हजार एकतालीस रुपये) का अभिश्रव जमा करने का उल्लेख टिप्पणी में अंकित है परंतु अभिश्रवों का जांच एवं सत्यापन कभी नहीं किया गया। यदि जांच किया जाता तो किए गए कार्य की भौतिक स्थिति स्पष्ट हो जाती। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा राशि विमुक्ति के लिए गलत तरीके से सुझाव एवं प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को देते रहे जो एक वरीय पदाधिकारी के लिए उनके सरकारी सेवक आचरण के विरुद्ध है।

आरोप सं०-5. जलछाजन योजना से संबंधित सभी संचिकाएँ आपके आवासीय कार्यालय में आशुलिपिक के पास रखी गई थी जहां संबंधित संचिका में आशुलिपिक द्वारा ही टिप्पणी की जाती थी एवं उसके बाद निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन द्वारा तथा आपके द्वारा P.I.A. को राशि विमुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी के समक्ष सलाह एवं सुझाव दिया जाता था। जबकि मार्गदर्शिका की कंडिका 29, 30 के अनुसार जब तक जिला पर्वद विधान के अनुसार पर्याप्त शक्तियाँ एवं संसाधनों के साथ परिवर्तन में न आ जाय तब तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की होगी परंतु आपके द्वारा नियम का पालन न कर आशुलिपिक के पास संचिका रखा गया जिससे कार्यालय के किसी कर्मचारी प्रधान सहायक आदि को नियमों की जानकारी नहीं हो पाई। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर P.I.A. द्वारा बरती जा रही अनियमितता एवं सरकारी राशि की गबन करने के नीयत से संचिकाओं को आवासीय कार्यालय पर रखा गया जिससे आपकी संलिप्तता दृष्टिगोचर होती है।

आरोप सं०-6. एजेन्सियों द्वारा प्रखंड में कराया जा रहे कार्यों की भलीभांति संचालन एवं सफल समन्वय की मार्गदर्शिका की कंडिका-30 के अनुसार परियोजना निदेशक, जो स्वयं आप हैं, की

अध्यक्षता में जल संग्रहण विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाना है, जिसमें D.R.D.A के बहु उपासनात्मक दल के तीन या चार सदस्य जिले के जल संग्रहण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियाँ/परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों के 5 या 6 सदस्य जिले में संबंधित अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान से एक या दो सदस्य होंगे। उक्त समिति का गठन इस प्रकार की क्रियाकलापों के संबंध में सलाह एवं सहयोग देने हेतु किया जाना था, जो गठित नहीं किया गया और न ही प्रस्ताव दिया गया। इसके अभाव में योजना का पर्यवेक्षण नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में आपके द्वारा मार्गदर्शिका में दिये गये निदेश का पालन नहीं कर आपके द्वारा एजेन्सियों को अनियमितता बरतने की छूट दी गयी। इस संदर्भ में आपके द्वारा अपने दायित्व को निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-1265, दिनांक-04.03.2006 द्वारा मो० अली से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में मो० अली के पत्रांक-65, दिनांक-05.04.2006 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

मो० अली के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5451, दिनांक-03.10.2007 एवं अनुवर्ती स्मार-पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-832/सी०, दिनांक-26.03.2014 द्वारा मो० अली के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया।

मो० अली के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1927, दिनांक-27.02.2015 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं०-3928, दिनांक-29.04.2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-124, दिनांक-13.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा मो० अली के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित 6 आरोपों में से आरोप सं०-1 एवं 2 को प्रमाणित, आरोप सं०-6 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

मो० अली के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 05 वर्ष तक इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, विभागीय पत्रांक-10878, दिनांक-22.12.2016 द्वारा मो० अली से द्वितीय कारण

पृच्छा की माँग की गई। मो० अली के पत्र, दिनांक-12.02.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

मो० अली से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान में कहे गये थे।

समीक्षोपरांत पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 05 वर्ष तक इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती प्रति माह किए जाने के दण्ड अधिरोपण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-8396, दिनांक 26.07.2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-364, दिनांक 08.02.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के सहमति उपरांत विभागीय संकल्प सं०-1393, दिनांक 21.02.2018 द्वारा मो० अली के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 05 वर्ष तक इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती प्रति माह किए जाने के दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध मो० अली द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1109, दिनांक 16.05.2018 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-755, दिनांक 13.11.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। मो० अली द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

“इनके ऊपर लगाये कुल छः आरोप जलछाजन योजना से संबंधित हैं एवं जलछाजन योजना का मॉनिटरिंग जिला पदाधिकारी-सह-पदेन अध्यक्ष, डी०आर०डी०ए० की प्रबंध पर्षद् द्वारा की जाती रही है एवं उनके आदेशों के आलोक में ही राशि को विमुक्त किया गया था। साथ ही साथ डी०पी०ए०पी० कार्यों की समीक्षा दिल्ली से आये राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 11.08.2000 में कार्य प्रगति का सत्यापन किया गया एवं संतोषजनक पाया गया था। विपत्र जाँच हेतु इनके द्वारा कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल को आदेश दिया गया था, लेकिन इनकी कार्य व्यस्तता के कारण ससमय इनके पुनः संज्ञान में नहीं आ सका। दिनांक 12.11.2000 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पी०आई०ए० के साथ बैठक में पाया गया कि राशि का गबन पी०आई०ए० द्वारा किया गया। राशि देने के पूर्व जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में राशि विमुक्त की गई। साथ ही साथ कार्यों का भौतिक जाँच एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु जाँच दल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा कभी भी अनियमितता संबंधित प्रतिवेदन नहीं किया गया। साथ ही पदेन अध्यक्ष के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया एवं इनको आरोपी पदाधिकारी के रूप में चिन्हित कर कार्रवाई करना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।”

मो० अली द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है। इनके विरुद्ध दण्ड का अधिरोपण संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के आलोक में किया गया है। तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा दिनांक 09.03.2000 को पी०आई०ए० फोर्ड के द्वारा किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए मो० अली को आदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा न तो फोर्ड के कार्यों का ही सत्यापन किया गया और न ही उक्त संस्था द्वारा समर्पित विपत्रों की समीक्षा कर पारित करने की कार्रवाई की गई। यदि मो० अली द्वारा फोर्ड के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया होता तो फोर्ड के द्वारा राशि दुर्विनियोग एवं गबन नहीं किया जाता। मो० अली की मिलीभगत से कुल 9,64,193/- रु० सरकारी राशि की क्षति हुई। मो० अली का यह कथन कि उनके द्वारा विपत्र जाँच हेतु कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल को निदेश दिया गया था, लेकिन कार्य व्यस्तता के कारण उनके द्वारा पुनः मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा सका, अस्वीकार्य है।

अतः समीक्षोपरांत, मो० मुजफ्फर अली, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी, संप्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 05 वर्ष तक इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती प्रति माह किए जाने का अधिरोपित दण्ड यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० मुजफ्फर अली, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
